

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. लक्ष्मीनारायण
3. ओमप्रकाश
4. रामप्यारी
5. मीरा
6. गीता

पि. श्री दौलतराम जाति महाजन निवासी पेंथड़ों की ढाणी,  
तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति अभिभाषक:-

1. पैरोकारराज:- राज्य की ओर से
2. श्री रणजीत सिंह निर्वाण:- अभिभाषक अपीलान्ट

:-निर्णय:-



दिनांक :-13.05.2026

यह कि अपीलान्ट ने यह अपील उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत के ग्राम पैथड़ों की ढाणी के इन्तकाल संख्या 49 दिनांक 15.01.2008 में अपीलान्ट का नाम लक्ष्मी के स्थान पर नखतू दर्ज किया गया, को निरस्त करने बाबत इस न्यायालय में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई है।

अपीलमीमों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है:-

अपीलांट व प्रोफार्मा रेस्पों सं0 2 ता 6 के पिता दौलतराम पुत्र श्री जेसीराम के नाम से वाके रोही ग्राम पेंथड़ों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 937 में 6 बीघा, खसरा नम्बर 1023 में 68.7 बीघा भूमि चली आ रही थी। जिसमें अपीलांट व प्रोफार्मा रेस्पों.

संख्या 2 ता 6 के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् अधि. न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट के वास्तविक नाम लक्ष्मी होने पर भी लक्ष्मी के स्थान पर नखतू दर्ज कर इन्तकाल दर्ज किया गया। जिस कारण अधि. न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून न्याय होने के निरस्त योग्य है। अधि. न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट की सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना अपीलांट का घरेलू नाम नखतू के हिसाब से दर्ज कर दिया गया, जबकि मुताबिक रिकार्ड के अपीलांट का नाम लक्ष्मी है इस प्रकार अपीलांट का घरेलू नाम से आदेश अधि. न्यायालय पारित कर भारी विधिक भूल की है। अतः आदेश के अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून न्याय एवं प्राकृतिक न्याय की सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है तथा काबिल समाअत अदालतवाला के है। यह कि अन्य तथ्य वरवक्त बहस प्रस्तुत किये जायेंगे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का नाम नखतू के स्थान पर लक्ष्मी दर्ज करने का आदेश फरमाया जाये।

पैरोकार राज ने अपील मियाद बाहर पेश होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही राज्यहितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु. कोलायत को इन्तकाल संख्या 49 दिनांक 15.01.2008 खारिज करते हुये पत्रावली उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांट लक्ष्मी एवं नखतू एक ही व्यक्ति हो तो उनसे साक्ष्य सबूत लेकर जांच कर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शारदा चौधरी)

कलक्टर एवं  
उपायुक्त उपनिवेशन  
बीकानेर